

बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना,

प्रस्तावना :

भारत सरकार द्वारा हाथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं तथा बुनकरों में उद्यमियता का विकास, तकनीकी संबल, बैकवर्ड एप्ड फारवर्ड लिंकेजेज की स्थापना करने का भारत सरकार का लक्ष्य एवं प्रयास है और इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा बुनकरों के कल्याण हेतु बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2014 से लागु है।

उद्देश्य :

बुनकरों को कार्यशील पूँजी की आवश्यकता तथा उत्पाद लागत को कम करने के उद्देश्य से उपकरणों के क्य करने हेतु उपयुक्त तथा समय पर बैंकिंग संस्थाओं से क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करवाना है।

पात्रता:

हाथकरघा बुनकर तथा सहायक कामगार (वर्कर) जो कि बुनाई गतिविधियों में संलिप्त हैं। इसमें नए ऋणी (बोरोवर) भी सम्मिलित हैं जो कि अन्यथा पात्र हो तथा बैंक्स की विद्यमान योजनाओं में प्रस्तावित गतिविधि करने हेतु पात्र हों।

विकास आयुक्त, (हाथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित हाथकरघा बुनकरों के लिए तीसरे राष्ट्रीय जनगणना में चिन्हित बुनकरों को प्राथमिकता दी जावेगी। बुनकर क्रेडिट कार्ड नहीं होने की स्थिति में धागा, पासबुक, स्वास्थ्य बीमा कार्ड की छाया प्रति अथवा महाप्रबन्धक, जिउके द्वारा जारी प्रमाण पत्र को पात्रता का आधार माना जायेगा।

कार्ड जारी करना :

योजनान्तर्गत बैंक द्वारा बुनकर को उनकी फोटो लगा एक बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी किया जावेगा जिसमें ऋण की सीमा तथा क्रेडिट सुविधा की अवधि की वैधता अंकित होगी। साथ ही लाभार्थी को पासबुक / क्रेडिट कम - पासबुक जारी किया जावेगा जिसमें लाभार्थी का संपूर्ण विवरण अंकित होगा।

साख सुविधा का निर्धारण:

बुनकर द्वारा की जा रही बुनाई गतिविधि के लिए कार्यशील पूँजी की मांग एवं टूल्स व उपकरण की मांग के आधार पर ऋण सुविधा का निर्धारण होगा।

व्यक्तिगत बुनकर हेतु अधिकतम 2 लाख रु. तक की ऋण / साख सुविधा होगी।
स्वीकृत साख सुविधा की वैधता अवधि 3 वर्ष होगी।

निरंतर....2